

Witness No. 04 for अभियोजन साक्षी Deposition takenthe 02 jun Day of 2018 Witness's apparent age 61 YearsStates of affirmation शपथपूर्वक My name is श्रीमती हेमीन बाई साहूW/ of स्व. धनीराम साहू occupation गृहणी

address

s वार्ड नंबर 10 ऊपरपारा, थाना- अभनपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.)

1/ मैं आरोपी विजय यादव को जानती हूँ।

2/ आज से आठ-नौ माह पहले आरोपी विजय यादव सुबह दस बजे खाना खाने आया था और अपने बच्चे को मेरे पास छोड़कर इसे रखो बोलकर चला गया था और वह यह भी बोला था कि मैं काम में जा रहा हूँ और मेरी पत्नि रमा यादव नहाने जा रही है, मैं उसके बच्चे को लेकर उसी के साथ सो गयी।

3/ मैं करीब दो घंटा सोयी रही, उठने के बाद मैं आरोपी के घर गई तो देखी कि उसके घर के पास काफी भीड़ लगा हुआ है, तब मैं भी आरोपी के घर गई वहाँ रमा पड़ी हुई थी और उसके सिर से खून निकल रहा था, वह मर गई थी, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानती। पुलिस वाले पूछताछ कर मेरा बयान लिये थे।

नोट :-इस स्तर पर अपर लोक अभियोजक द्वारा साक्षी को अपने पुलिस कथन का आंशिक समर्थन नहीं करना व्यक्त करते हुए उससे प्रति-परीक्षण में पूछे जाने वाले जैसे प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी। साक्षी के पुलिस कथन को देखते हुए उक्त अनुमति दी जाती है।

4/ रामाधार मेरा पुत्र है परंतु यह कहना गलत है कि रामाधार ने मुझे बताया था कि घटना के दिन विजय दस बजे के बाद काम पर नहीं गया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि विजय अपनी पत्नि रमा पर शक करता था और उसी शक में उसकी हत्या कर दिया होगा। यह कहना गलत है कि विजय अपनी पत्नि पर शक करता था और उसी शक के कारण उसने रमा की हत्या कर दिया। यह कहना गलत है कि मैं आरोपी से मिल गई हूँ इसलिए आरोपी के रमा पर शक करने की बात नहीं बता रही हूँ।

प्रतिपरीक्षण आरोपी विजय यादव द्वारा श्री एल.के.मिश्रा अधिवक्ता

5/ यह कहना सही है कि रमा की मां आज आई है, स्वतः कहा कि मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता इसलिए मैं उसे आज लेकर आई हूँ।

गवाह को पढ़कर सुनाया गया

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही होना स्वीकार किया।

सही / -

सही / -

(जितेन्द्र कुमार जैन)

(जितेन्द्र कुमार जैन)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

रायपुर (छ.ग.)

रायपुर (छ.ग.)